

उत्तर प्रदेश शासन,  
चिकित्सा अनुभाग-9,  
संख्या: 3009 /5-9-2002-41741/94टीसी,  
लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2002.

अधिसूचना  
कमर्चलिय-ज्ञाप  
=====

भारत सरकार द्वारा वारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 की धारा 17(2) एवं 17(5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक 1-1-1996 से प्रवृत्त नियमों के क्रम में उ० प्र० सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: जी 366(2)/5-9-96-61741/94टीसी दिनांक 14 अगस्त, 2001 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा [स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवाओं, के स्तर पर समुचित प्राधिकारी] एम्ब्रो प्रिण्ट आधारित। एवं "सलाहकार समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, हेड क्वार्टर, सेण्डल कमाण्ड, लखनऊ कैंट - समुचित प्राधिकारी। एम्ब्रो प्रिण्ट आधारित।।

उक्त समुचित प्राधिकारी को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित होगी और समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे। सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- 11। वरिष्ठ विशेषज्ञ, आबटेद्विएर एण्ड गायनोकोलाजी विभाग, - सदस्य  
कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
- 12। वरिष्ठ विशेषज्ञ, वेडिया द्विक विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, - सदस्य  
लखनऊ।
- 13। वरिष्ठ विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, - सदस्य  
लखनऊ।
- 14। अधिकारी। विधि प्रकोष्ठ।, हेड क्वार्टर, सेण्डल कमाण्ड ~~लखनऊ~~ - सदस्य
- 15। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य
- 16। अध्यक्ष, लोकल आर्मी <sup>413</sup> ~~विभाग~~ वेलफेयर एसोसियेशन, लखनऊ - सदस्य
- 17। सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, लखनऊ - सदस्य
- 18। अध्यक्ष, रोहरी क्लब, लखनऊ - सदस्य

"समुचित प्राधिकारी" के निर्देशानुसार बैठक आहूत की जायेगी तथा सलाहकार समिति द्वारा सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवाएँ का पंजीकरण, निरस्तीकरण

निलम्बन, शिष्यायतो का निराकरण तथा तत्सम्बन्धी सलाह अध्या निदेश दिये जाने का कार्य किया जायेगा।

- 111 "समुचित प्राधिकारी" द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-  
जेनेटिक सलाहकार केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला अध्या जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण करना, निलम्बन तथा निरस्त करना।  
121 जेनेटिक सलाहकार केन्द्र, जेनेटिक क्लीनिक तथा जेनेटिक प्रयोगशाला हेतु निर्धारित मानकों का क्रियान्वयन कराया जाना।  
131 प्रीनेटल सेक्टर डिटर्मिनेशन, प्रीवेंशन आफ मिस यूज अधिनियम की शिष्यायतो पर जाँच एवं अधिनियम का उल्लंघन पर तुरन्त कार्यवाही किया जाना।

सलाहकार समिति की बैठक हर दो माह में की जायेगी।

जे० पी० शर्मा ।  
सचिव ।

संख्या: 111/5-9-2002 तदुदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
111 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।  
121 महा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।  
131 समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।  
141 समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।  
151 महा निदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को, इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में अपने किसी अधिकारी को भेजकर इसका प्रकाशन असाधारण गजट में तत्काल सुनिश्चित करें।  
161 वरिष्ठ विशेषज्ञ, आबटेद्विक एण्ड गायनोकोलाजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।  
171 वरिष्ठ विशेषज्ञ, पेडियाट्रिक विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।  
181 वरिष्ठ विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।  
191 अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, हेड क्वार्टर, सेण्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ।  
1101 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।  
1121 अध्यक्ष, लोकल आर्मी विक्स वेलफेयर एसोसियेशन, लखनऊ।  
1131 सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, लखनऊ।  
1141 अध्यक्ष, रोटरी क्लब, लखनऊ।

आज्ञा से,

राजा राम उपाध्याय ।  
विशेष सचिव ।